राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248013
ई–मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक–रा0स्वा0प्रा0 / 2020–21 / कार्यवृत्त–ई0सी0 / 107 / 228   दिनांक: 06 जुलाई 2020

अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की अध्यक्षता में दिनांक–30 जून 2020 को 4 बजे आहुत कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

बैठक में उपस्थित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण–

1. श्री अरुणेन्द्र सिंह चौहान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड।
2. डा0 सुमन आर्या, अपर निदेशक, प्रतिनिधि, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
3. डा0 अर्चना श्रीवास्तव, निदेशक–मेडिकल एवं क्वालिटी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड।
4. श्री डी0डी0 जोशी, निदेशक– वित्त, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड।

अन्य प्रतिभागियों का विवरण–

1. श्रीमती पूनम चंदेल, प्रशासनिक अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड।
2. श्री पंकज कुमार, आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड।
3. श्री सूरज रावत, जिला कार्यक्रम समन्वयक, वित्त प्रकोष्ठ, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड।
4. श्री ओम प्रकाश डंगवाल, जिला कार्यकम समन्वयक, चिकित्सालय प्रबंधन प्रकोष्ठ, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड।
5. श्री अतुल जोशी, राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी।

उक्त बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गए जिनका विवरण निम्नानुसार है:

1. कार्यकारिणी समिति की दिनांक 7 मार्च 2020 को आहुत बैठक के जारी कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2. योजना के सफल कियान्वयन हेतु जारी शासनादेश संख्या 212, 213 एवं 214 दिनांक 4 मई 2020 के अनुसार पूर्ण की गई कार्यवाहियों का संज्ञान लेते हुए तद्नुसार गतिमान शेष कार्यवाहियों को भी समयांतर्गत पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– समस्त निदेशक, रा0स्वा0प्रा0)

3. शासनादेश संख्या 213 / XXVVIII-3-2020-04/2008. T.C. दिनांक 4 मई 2020 के कम में पूर्व निर्गत शासनादेशों में संशोधन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

   I. PMJAY लाभार्थियों की भाँति National Portability की सुविधा वर्तमान में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के समस्त लाभार्थियों को प्रदान की जाये।

Scanned by CamScanner

II. Medical Collage, Aspirational District, NABH accredited entry level एवं NABH accredited चिकित्सालयों एवं पर्वतीय क्षेत्रों के चिकित्सालयों को पैकेज दर पर अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया। TMS में संशोधन के पश्चात् को चिकित्सालयों को पत्र तथा समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाये।

III. शासनादेशानुसार स्वीकृत रेफरल पॉलिसी के अनुसार प्रदेश में स्थित निजी मेडिकल कॉलेज, भारत सरकार के मेडिकल कॉलेज, एम्स, ऋषिकेश, NABH Accredited निजी सूचीबद्ध चिकित्सालय एवं जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी एवं उत्तरकाशी जनपद में स्थित किसी भी निजी सूचीबद्ध चिकित्सालय में, नैनीताल/हल्द्वानी/रामनगर की शहरी सीमा में स्थित चिकित्सालयों को छोड़कर नैनीताल जनपद में स्थित किसी भी निजी सूचीबद्ध चिकित्सालय में तथा जनपद देहरादून के चकराता एवं कालसी ब्लॉक तथा मसूरी की शहरी सीमा में स्थित किसी भी निजी सूचीबद्ध चिकित्सालय में रेफरल की आवश्यकता को निरस्त किये जाने हेतु निदेर्शित किया गया।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन एवं निदेशक– हॉस्पिटल मैनेजमेंट)

4. बी0एस0एन0एल0 (भारत सरकार के उपक्रम) से प्राप्त Proposal के अनुसार 10 सीटर कॉल सेंटर का शुल्क रु0 680640 + 18 % GST प्रति माह हेतु Call Centre Proposal पर अनुमोदन। वर्तमान में NHM के कॉलसेंटर 104 पर आयुष्मान योजना से संबंधित भी कॉल प्राप्त हो रही हैं जिसका संचालन BSNL द्वारा किया जा रहा है। अतः तत्कालिकता के दृष्टिगत दि0 31 मार्च 2021 तक BSNL से सेवाएँ प्राप्त करने का प्रस्ताव अनुमोदित।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

5. मानव संसाधन हेतु दिनांक 30 मई 2020 को आमंत्रित निविदा पर कार्योत्तर स्वीकृती प्रदान की गयी।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

6. शासनादेशानुसार Director- Hospital Management के पद पर पुनर्नियुक्ति किये जाने एवं प्रति माह CSR (Pay-Pension) के अनुसार भुगतान किये जाने का प्रावधान है। जिस कम में डा0 विनोद नौटियाल की दिनांक 01 जुलाई 2020 से दिनांक 28 फरवरी 2021 तक अनुबन्ध हेतु अनुमोदित।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

7. शासनादेशानुसार Director- Medical & Quality के पद पर पुनर्नियुक्ति किये जाने एवं प्रति माह CSR (Pay-Pension) के अनुसार भुगतान किये जाने का प्रावधान है। जिस कम में डा0 अर्चना श्रीवास्तव की दिनांक 01 जुलाई 2020 से दिनांक 28 फरवरी 2021 तक अनुबन्ध हेतु अनुमोदित।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

8. श्री अजय नेगी एवं श्री संदीप बिष्ट की पुनः नियुक्ति दिनांक 28.02.2021 तक अनुबन्ध किये जाने हेतु अनुमोदित।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

9. शासनादेशानुसार Private Secretary to Chairman के पद पर नियुक्ति का श्रोत departmental/Retired/Outsource है। अतः श्री आशीष पटेल, आशुलिपिक, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय प्रशासन अकादमी, मसूरी को Senior Private Secretary to Chairman पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

Scanned by CamScanner

10. शासनादेशानुसार Private Secretary to CEO के पद पर नियुक्ति का श्रोत departmental/Retired/Outsource है एवं प्रति माह CSR (Pay-Pension) के अनुसार भुगतान किये जाने का प्रावधान है। अतः श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, सेवानिवृत AAO को (मूलतः PS संवर्ग) को Private Secretary to CEO के पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

11. प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत Coordinator Programme Management का अनुबंध नवीनीकरण 28 फरवरी 2021 तक किये जाने हेतु अनुमोदित।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

12. प्रचार–प्रसार गतिविधियों का संचालन करने हेतु टेंडर के माध्यम से फर्म का चयन करने हेतु RFP पर अनुमोदन।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

13. पत्रांक अ0आ0उ0यो0/2019–20/1872 दिनांक 06 फरवरी 2020 के क्रम में संबंधित फर्म द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार दिनांक 15 मार्च 2020 तक सुसज्जित भवन हस्तांतरित किये जाने के सापेक्ष कोविड 19 संक्रमण के दृष्टिगत लागू लॉकडाउन के कारण भवन का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका तथा 02 तल दिनांक 15 जुलाई 2020 तक उपलब्ध करवाने का आश्वासन फर्म द्वारा दिया गया है। समिति अवगत हुयी।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

14. शासन से प्राप्त पत्र दिनांक 24 जून 2020 के अनुसार Office Accommodation लिए जाने हेतु विभागाध्यक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। निर्णय लिए जाने में कठिनाई होने पर गवर्निंग बॉडी के समक्ष प्रस्ताव रख अग्रेतर कार्यवाही कर सकते हैं, समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

15. नवीन किराये के भवन हेतु रु0 1.05 करोड़ के कार्यालय फर्नीचर एवं कम्प्यूटर उपकरण का क्रय ई–निविदा प्रक्रिया/अधिप्राप्ति नियमावली का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है एवं समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

16. शासनादेश संख्या 214/XXVVIII-3-2020-04/2008. T.C. दिनांक 4 मई 2020 के क्रम में **SGHS** से सम्बंधित की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है जिसका संज्ञान लिया गया–

    I. BIS एवं TMS पर आवश्यक संशोधन हेतु राष्ट्रीय स्वस्थ्य प्राधिकरण को प्रेषित कर दिया गया है।

    II. National Portability की सुविधा हेतु आवश्यक संशोधन कर दिये गए हैं।

    III. ICICI Bank के माध्यम से Software तैयार करने की प्रक्रिया गतिमान है।

    IV. स्वायत्तशासी निकाय, निगमों, प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय से प्राप्त संस्तुति पत्रों पर अग्रिम कार्यवाही पर चर्चा एवं निर्णय। राजकीय कार्मिकों एवं पेशनरों की योजना लागू करने के पश्चात् प्रारम्भ किये जाने पर अनुमोदन।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

Scanned by CamScanner

17. योजना के अंतर्गत इम्पैनलमेंट हेतु राज्य स्तर पर लंबित निम्नवत् चिकित्सालयों की इम्पैनलमेंट एप्लीकेशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी नई गाईडलाईन्स के अनुसार इम्पैनलमेंट किये जाये:–
   - ✓ डा0 कोहली लैप्रोस्कोपिक मल्टीस्पेशियेलिटि हॉस्पिटल, ऋषिकेश, जनपद देहरादून।
   - ✓ विनय विशाल हैल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड, रुड़की, जनपद हरिद्वार।
   - ✓ सुनन्दा मेडिकल सेंटर, जनपद देहरादून।
   - ✓ माँ जगदम्बा सुपरस्पेशियेलिटि हॉस्पिटल, जनपद नैनीताल।

(कार्यवाही–निदेशक, हॉस्पिटल मैनेजमेंट)

18. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत पूर्व में De-Empanel किये गए चिकित्सालयों का पुनः सूचीबद्ध किये जाने हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव के उपरांत NHA द्वारा जारी नई इम्पैनलमेंट गाईडलाईन्स के अनुसार निर्णय हेतु प्राप्त अनुमोदन के क्रम में संबंधित चिकित्सालयों बृजेश चिकित्सालय, जनपद नैनीताल एवं आरोग्यम हॉस्पिटल, हरिद्वार की जाँच राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के स्तर से भी करने हेतु निर्देशित करते हुए तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही–निदेशक, हॉस्पिटल मैनेजमेंट)

19. योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध जगदम्बा ट्रॉमा सेंटर, जनपद देहरादून को हस्ताक्षरित अनुबंध में वर्णित सेक्शन 11 पैरा–2 के अनुसार 01 माह का नोटिस निर्गत करते हुए अनुबंध समाप्त करने हेतु निर्गत पत्रांक 194 दिनांक 18 जून 2020 पर कार्योत्तर स्वीकृती प्रदान की गई है।

(कार्यवाही–निदेशक, हॉस्पिटल मैनेजमेंट)

20. योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध 19 चिकित्सालय जिनके साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाना है, पर चर्चा करते हुए NHA की नई इम्पैनलमेंट गाईडलाईन्स के अनुसार समस्त सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों के साथ Supplementary Agreement हस्ताक्षरित करने से संबंधित प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही–निदेशक, हॉस्पिटल मैनेजमेंट)

21. क्रियान्वयन सहायता एजेंसी द्वारा प्रेषित बिलों के भुगतान पर निर्णय के संबंध में चर्चा करते हुए पूर्व की भाँति कुल निर्गत किये जाने वाली धनराशि का 80% भुगतान करते हुए शेष भुगतान से पूर्व एवं क्रियान्वयन सहायता एजेंसी से अर्थदण्ड की वसूली से पूर्व क्रियान्वयन सहायता एजेंसी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही–निदेशक, वित्त)

22. शासनादेश दिनांक 14 सितम्बर 2018 द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में सम्मिलत कर दिया गया है। जिस क्रम में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के मद से लोन के रुप में ली गई धनराशि रु0 12043000/– को वापिस मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के मद में करने अथवा न करने के संबंध में चर्चा करते हुए निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सालयों के शेष क्लेम के भुगतान के दृष्टिगत लोन के रुप में ली गई धनराशि रु0 12043000/– को वापिस मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के मद में वापिस जमा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(कार्यवाही–निदेशक, वित्त)

23. COVID-19 से संबंधित जाँच को प्राईवेट ICMR अप्रूवड लैब्स से कराये जाने से संबंधित शासनादेश संख्या 808/XXVIII-1/20-01(6)/2020 दिनांक 26 जून 2020 का संज्ञान लेते हुये यह निर्णय लिया गया कि SARI से सम्बन्धित मामलों में Covid-testing तथा Covid-19 से सम्बन्धित अन्य विषयों पर MoHFW, ICMR, NHA तथा राज्य सरकार की गाईडलाइन्स/प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही करने हेतु

Scanned by CamScanner

सभी सूचीबद्ध चिकित्सालयों तथा कियान्वयन सहायता एजेन्सी को एक सुसंगत परिपत्र निर्गत किया जाये।

(कार्यवाही–निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट)

24. दिनांक 15 जुलाई 2020 के उपरांत गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजित करने हेतु मुख्य सचिव महोदय से तिथि प्राप्त करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही–निदेशक, प्रशासन)

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

प्रतिलिपिः

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के सादर संज्ञानार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड।
3. महानिदेशक, चि0स्वा0 एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, प्रशासन, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड।
5. निदेशक, वित्त, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड।
6. निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड।
7. निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड।
8. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड को उक्त कार्यवृत्त वेबसाईट में अपलोड करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. गार्ड फाईल।

(डा0 अर्चना श्रीवास्तव)
निदेशक–प्रशासन
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

अनुमोदित।

(दिलीप कुमार कोटिया)
अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

Scanned by CamScanner